न्यायालय उपखण्ड अधिकारी परबतसर (नागौर) राज.

पीठासीन अधिकारी :– मुकेश कुमार मूंड आर.ए.एस.

प्रार्थीगण :–	बनाम	अप्रार्थीगण
1– भंवरीदेवी पत्नी रूपा दरोगा		1. कालू पुत्र रामपाल रा. राजपूत निवासी परबतसर तह. परबतसर
2– सन्तुकंवर पुत्री रूपा दरोगा निवासी परबतसर		2. तहसीलदार परबतसर

प्रार्थना पत्र बाबत :– अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थित :– श्री गजराज चौहान अधिवक्ता प्रार्थीगण

श्री माधोप्रसाद अधिवक्ता अप्रार्थी 1

मुकदमां नम्बर :– 123/2016 निर्णय दिनांक :– 27.02.2020

निर्णय

वकुलाय उपस्थित। बहस सुनी गई। प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी में ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2368 रकबा 0.38 हैक्टयर, खसरा नम्बर 2993/2364 रकबा 0.53 हैक्टयर तथा खसरा नम्बर 2994/2364 रकबा 1.88 हैक्टयर जिसके पुराने खसरा नम्बर 1665 रकबा 20–08 बीघा भूमि स्थित है। जिसमें प्रार्थीगण 0.7927 हैक्टयर भूमि के खातेदार हैं विवादित भूमि में से प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने हिस्से में से बेचान की गई हैं मूल वाद प्रतिवादी 2 से 8 को बैचान की हैं जिस पर वे काबिज हैं। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण ने दिनांक 18.07.2016 को वादग्रस्त भूमि का मौके पर बंटवारा कर अलग अलग काबिज काश्त हो गये हैं। प्रार्थीगण ने अपने हक हिस्से व खातेदारी भूमि का बाई मिट्स बाउण्ड बंटवारा करवाने हेतु वाद पेश किया है। वाद के निर्णय तक अप्रार्थीगण को भूमि का बैचान हस्तान्तरण नहीं करने व प्रार्थीगण के कब्जा काश्त में दखलन्दाजी नहीं करने हेतु पाबन्द किये जाने की इस्तदुआ की है।

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

2. प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी 1 के जरिये अभिभाषक जबाब पेश कर निवेदन किया हैं कि प्रार्थीगण की 0.7927 हैक्टयर हिस्सा नहीं बनता हैं। प्रार्थीगण एक पक्षीय डिक्री दिनांक 30.12.2015 को प्राप्त की हैं जिसके सम्बन्ध में आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रार्थना पत्र पेश कर रखा हैं जो विचाराधीन है। कालू के अलावा तीन भाई ओर थे जिनका नाम कमाश रूपा, माधू व दुर्गा था जिनकी सभी की मृत्यु हो चुकि हैं पुराना खसरा नम्बर 1665 की माता ने अपने जीवनकाल में ही बेच दी थी शेष भूमि में अप्रार्थी 1 ने 2 बीघा भूमि पूर्व में बैचान कर दी थी तथा रूपा द्वारा भी करीब 2.10 बीधा का बैचान कर दिया इस प्रकार अप्रार्थी सहित 4 भाईयों के पास भूमि शेष नहीं बची हैं इसमें प्रत्येक का 1/3 हिस्सा हैं अप्रार्थी ने एक वाद ओर न्यायालय में पेश कर रखा हैं जिसका अनुसार कालू बनाम बलवीर हैं उक्त वाद भी बंटवारा व घोषणा का वाद पेश किया हैं जो भी विचाराधीन है। जिससे प्रार्थीगण को प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं खारिज फरमाया जावे। अप्रार्थी 2 का नोटिस तामील सुदा प्राप्त होने के बावजूद अनुपस्थित रहने पर एक पक्षीय कार्यवाही की गई।

3. उभय पक्षकारान की बहस सुनी गई पत्रावली एवं पत्रावली में पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों, विधि के सुसंगत प्रावधानों का अवलोकन किया गया तथा बहस पर मनन किया गया।

4. उपरोक्त विवेचन के अनुसार प्रार्थीगण अप्रार्थी 1 की संयुक्त खातेदारी में दर्ज रिकार्ड हैं जमाबन्दी सम्वत 2070–73 के अनुसार ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2368, 2369, 2376, 2993/2364, 2994/2364 कुल रकबा 3.37 हैक्टयर प्रार्थीगण व अप्रार्थी एवं वाद पत्र में वर्णित अन्य प्रतिवादीगण की खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है। वादीनी ने अपने दर्ज हक हिस्से की भूमि का विधिवत बंटवारा करनाने हेतु वाद पेश कर रखा है, अप्रार्थी 1 ने भी अलग से एक वाद बंटवारा व

उपखण्ड अधिकारी
परबतसर (नागौर)

Scanned by CamScanner

खातेदारी घोषणा का वाद पेश कर रखा हैं, पूर्व वाद संख्या 150/2014 निर्णय दिनांक 30.12.2015 के विरूद्ध ऑडर 9 रूल 13 सीपीसी के तहत भी प्रार्थना पत्र अप्रार्थी द्वारा पेश कर रखा हैं जो विचाराधीन है, जिससे स्पष्ट होता हैं कि पक्षकारो में भूमि को लेकर विवाद न्यायालय में विचाराधीन हैं। उक्त भूमि में किस खातेदार का कितना हक हिस्सा हैं तथा भूमि का मौके पर भौतिक रूप से हो रखे बंटवारे के अनुसार मौके पर कब्जा काश्त है अथवा नही यह सम्पूर्ण तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूतो के आधार पर तय होना है। पक्षकारो में उक्त विवादित भूमि को लेकर वाद के निर्णय तक कोई विवाद एवं मुकदमें बाजी नहीं हो जिससे वाद के निर्णय तक उभय पक्षकारो को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उभय पक्षकारो को मूल वाद के निर्णय तक पाबन्द किया जाता है कि ग्राम परबतसर के खसरा नम्बर 2368, 2369, 2376, 2993/2364, 2994/2364 कुल रकबा 3.37 हैक्टयर भूमि मौके व राजस्व रिकार्ड की यथास्थिति बनायी रखी जावे। यह आदेश आज दिनांक 27.2.20 सरे इजलास सुनाया गया।

(मुकेश कुमार मुंड)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
परबतसर

Scanned by CamScanner